षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 3 श्रावण, 1941 (श०) / 25 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या **02**

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	01
(2)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	01
			कुल योग --	02

योजनाओं का कार्यारम्भ

32. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रमंडलीय मुख्यालय, दरभंगा एवं डी0एम0सी0एच0 को जल-जमाव से मुक्त करने हेतु पिछले दो वर्षों में पाँच बड़े नाले की योजना स्वीकृत की गई जो दोनार से टिनही पुल, डी0एम0सी0एच0 से छपरार घाट, कर्पूरी चौक से शैदनगर भू-गर्भीय नाला, शैदनगर से एकमी घाट, बेता चौक से डी0एम0सी0एच0 बच्चा वार्ड तक थी, जिसकी प्राक्कलित राशि क्रमशः 27, 11.50, 6.50, 10.50 एवं 1.50 करोड़ रुपये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी योजनाओं में अबतक कार्य आरंभ नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप डी0एम0सी0एच0 एवं गाँधी नगर, कटरहीया, भेलुचक, कबिरचक, धरमपुर, खानचौक, सदर प्रखंड मुख्यालय समेत कई स्थानों पर पिछले बीस दिनों से दो-तीन फीट पानी लगा हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त योजनाओं का कार्यारम्भ नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

निबंधन एवं लाभ दिलाना

33. श्री प्रहलाद यादव-क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार में टोपो जमीन का निबंधन बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सर्वे के अभाव में टोपो जमीन का रसीद भी कटना बंद है, जिसके कारण लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय आदि जिलों के दियारा क्षेत्र में लाखों एकड़ जमीन पर किसान सरकारी सुविधा से वंचित हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूर्व में निबंधन से लेकर रसीद तक किसान के नाम से होता था और आज भी किसान के नाम से दोनों किस्म के जमीन की बंदोबस्ती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोनों किस्म के जमीन का निबंधन रसीद तथा किसान को उक्त जमीन पर सरकारी लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

पटना :
दिनांक 25 जुलाई, 2019 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 54(एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550